जलग्रहण परियोजनाओं हेतु गठित
राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी की छठवीं बैठक दिनांक
09/01/2013 का कार्यवाही विवरण

मुख्य सचिव, छ.ग. शासन की अध्यक्षता में दिनांक 09/01/2013 को महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर में मुख्य सचिव के प्रतिकक्ष में राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी की बैठक प्रातः 10:30 बजे प्रारंभ हुई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न है। **(परिशिष्ट–एक)**

सर्वप्रथम मुख्य कार्यपालन अधिकारी, SLNA द्वारा सभी अधिकारियों का स्वागत किया गया। बैठक में विशेष आमंत्रित Antrix Corporation Ltd. के डॉ. बी.के.रंगनाथ, प्रोजेक्ट डायरेक्टर (M&E), सुजला, बैंगलूरू, डॉ.एस. दास, क्षेत्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर–मध्य (RRSC-C), नागपुर (इसरो) एवं CGCOST, रायपुर का परिचय कराने के उपरांत मुख्य सचिव की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

एजेण्डा–1: राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी की पंचम बैठक दिनांक 01.10.2012 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

सदस्यों द्वारा कार्यवाही विवरण दिनांक 01.10.2012 की पुष्टि की गई।

एजेण्डा–2: विगत बैठक में लिये गये निर्णयों का पालन प्रतिवेदन।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, SLNA द्वारा दिनांक 01.10.2012 की बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

IWMP परियोजनांतर्गत विभिन्न स्तरों पर स्वीकृत पदों में नियुक्ति के संबंध में अवगत कराया गया कि परियोजनांतर्गत नवीन संविदा भर्ती प्रक्रिया के विरूद्ध वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं की संख्या 22 से बढ़कर 31 हो गई है जिससे जिले में नियुक्ति प्रक्रिया बाधित हुई है। उक्त समस्त याचिकाओं का जवाबदावा मान. उच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। साथ ही विद्वान महाधिवक्ता से माननीय उच्च न्यायालय में भर्ती प्रक्रिया के संबंध में प्रस्तुत समस्त याचिकाओं की बंचिंग कर शीघ्र सुनवाई हेतु भी अनुरोध किया गया है।

मुख्य सचिव द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया बाधित होने से राज्य में जलग्रहण कार्यों को लोकहित में जल्द से जल्द संपादित किये जाने की आवश्यकता को उल्लेखित करते हुए पुनः विद्वान महाधिवक्ता को उनकी ओर से अर्द्धशासकीय पत्र लिखे जाने के निर्देश दिये गये।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, SLNA द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2012–13 से स्वीकृत होने वाली IWMP परियोजनाओं में वाटरशेड समिति को ग्राम पंचायत की उपसमिति बनाने एवं नवीन प्रशासकीय व्यवस्था व वित्तीय प्रवाह की प्रक्रिया के संबंध में आदेश जारी कर दिये गये है।

मुख्य सचिव द्वारा IWMP परियोजनाओं के संपादन हेतु नवीन व्यवस्था के संबंध में जानकारी चाही गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी SLNA द्वारा अवगत कराया गया कि विभिन्न विभागों के शासकीय PIA नियुक्त करने की परम्परागत प्रथा को समाप्त कर वर्ष 2012–13 से उनके स्थान पर संबंधित जिला पंचायत शासकीय PIA के रूप में कार्य करेगी। जिला पंचायत के अधीन प्रत्येक स्वीकृत परियोजना में पूर्णकालिक एक टीम लीडर व तीन WDT सदस्य होंगे एवं ग्राम स्तर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायतों की उपसमिति जलग्रहण समिति के रूप में कार्य करेगी। NGO PIA हेतु भी प्रशासकीय व्यवस्था व वित्तीय प्रवाह शासकीय PIA जैसी होगी।

CEO-SLNA द्वारा धीमी प्रगति वाले 13 परियोजनाओं के PIA को बदले जाने की कार्यवाही से समिति को अवगत कराया गया। साथ ही विगत बैठक में दिये गये निर्देश के अनुक्रम में CGCOST के माध्यम से पूर्ण IWDP/DPAP परियोजनाओं के मूल्यांकन कार्य की प्रगति की जानकारी दी गई।

मुख्य सचिव की अनुमति से कर्नाटक राज्य में विश्व बैंक द्वारा पोषित जलग्रहण परियोजनाओं के सतत् अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य कर रही संस्था Antrix Corporation Ltd. के डॉ. बी.के. रंगनाथ, प्रोजेक्ट डायरेक्टर (M&E) के द्वारा विस्तृत एवं सारगर्भित प्रस्तुतीकरण दिया गया। उनके द्वारा प्रस्तुतीकरण में वर्ष 2001–2009 के दौरान कर्नाटक राज्य के पांच जिलों में सतत् अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य में सेटेलाईट नक्शे के उपयोग एवं उससे परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के अनुभव की जानकारी दी गई। इस हेतु Antrix Corporation Ltd. को परियोजना लागत के 1.15 प्रतिशत राशि सात वर्षो के लिए उपलब्ध करायी गयी थी। सतत् अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य के लिए Antrix Corporation Ltd. द्वारा राज्य स्तर पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर (M&E) के अधीन 06 व्यवसायिक डिग्री धारक पदस्थ किये गये थे। साथ ही प्रत्येक जिले में एक वैज्ञानिक एवं 02–03 सहायक पदस्थ किये गये थे। इनके द्वारा प्रत्येक माह क्षेत्र भ्रमण तथा सेटेलाईट नक्शों के विश्लेषण के उपरांत रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता था। इस व्यवस्था से जलग्रहण परियोजनाओं के परिणामों का सटिक आंकलन भी किया जा सका।

मुख्य सचिव द्वारा राज्य में कैम्पा मद से किये गये वृक्षारोपण एवं कृषि विभाग से उद्यानिकी मिशन के फलोद्यानों का मूल्यांकन कराने के निर्देश दिये गये। इस हेतु CGCOST एवं RRSC नागपुर से चर्चा कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। IWMP परियोजनाओं के लिए निकट भविष्य में सतत् अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए CGCOST एवं RRSC नागपुर के साथ सुजला जैसी व्यवस्था बनाने हेतु निर्देश दिये गये।

राज्य के विभिन्न विश्व विद्यालयों में भू–विज्ञान, वानिकी, कृषि, मृदा एवं जल संरक्षण, अभियांत्रिकी आदि विषयों में अध्ययनरत् स्नातक/स्नातकोत्तर अंतिम वर्षो के छात्रों को उक्त मूल्यांकन कार्य में संलग्न करने हेतु CGCOST एवं इंदिरा गांधी कृषि विश्व विद्यालय को निर्देश दिये गये।

एजेण्डा–3: IWMP परियोजनाओं के अंतर्गत स्वयं सेवी संस्थाओं/कॉर्पोरेट एजेंसियों को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (PIA) के रूप में कार्य करने हेतु प्रस्तावों के आमंत्रण एवं मूल्यांकन के संबंध में दिशा–निर्देश के अनुमोदन विषयक।

SLNA की चतुर्थ बैठक में अनुमोदित दिशा–निर्देश में केवल स्वयं सेवी संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों के न्यूनतम अर्हता के लिये परीक्षण एवं तथ्यों के प्रमाणीकरण के संबंध में प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। प्रस्तावों के आमंत्रण, मूल्यांकन एवं श्रेणीकरण के लिए प्रक्रिया का निर्धारण नहीं किया गया था।

मध्यप्रदेश में कॉर्पोरेट एजेंसियों के सहयोग से IWMP की परियोजनाएं सफलतापूर्वक संचालित की जा रही हैं। भारत सरकार द्वारा जलग्रहण परियोजनाओं हेतु प्रस्तावित नवीन "समान मार्गदर्शी सिद्धांत 2012" में भी IWMP परियोजनाओं में कॉर्पोरेट एजेंसियों को PIA के रूप में कार्य करने के लिए न्यूनतम अर्हता निर्धारित की गई है। VOs/NGOs एवं कॉर्पोरेट एजेंसियों के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं एक समान है। किंतु कॉर्पोरेट एजेंसियों को कुल परियोजना लागत की 15% राशि योगदान के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। साथ ही प्रशासनिक मद की राशि भी इन्हीं के द्वारा वहन किया जायेगा।

VOs/NGOs एवं कॉर्पोरेट एजेंसियों से प्रस्ताव के आमंत्रण एवं मूल्यांकन हेतु प्रक्रिया चर्चा व अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रस्ताव के आमंत्रण हेतु विज्ञापन एस.एल.एन.ए. द्वारा प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर के 2–2 बहुप्रसारित समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जावेगा, परंतु आवेदन संबंधित जिले में जमा करना होगा। प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय समिति द्वारा करने के

उपरांत WCDC द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों को SLNA प्रेषित किया जावेगा। जिलों से प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन CEO-SLNA, निदेशक (विस्तार सेवाएं) इं.गा.कृ.वि. तथा नाबार्ड के प्रतिनिधि की समिति द्वारा की जावेगी। मूल्यांकन हेतु IIT खड़कपुर की भी सहायता ली जा सकेगी। समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों का अंतिम अनुमोदन SLNA द्वारा किया जावेगा। चुने गये संस्थाओं के पैनल की वैधता 03 वर्षो के लिए ही होगी।

मुख्य सचिव द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन के मापदण्डों में निम्नानुसार संशोधन हेतु निर्देशित किया गया :–

- संस्था के कार्यानुभव के तहत संस्था द्वारा जिलों की संख्या के स्थान पर विकासखंड की संख्या निर्धारित किया जाये।
- परियोजना क्षेत्र/लागत के लिए अंक निर्धारित किये जाये।
- DPAP क्षेत्रों में कार्य के अनुभव को विशेष महत्व दिया जाये।
- कर्मचारियों के संस्था में सेवाकाल के लिए अंक निर्धारित किये जाये।
- अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर प्रदत्त पुरस्कारों के लिए क्रमशः 6, 4 एवं 2 अंक दिये जाये।
- कॉर्पोरेट एजेंसियों के चयन में ऐसी संस्थाएं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि संबंधी आदानों पर बेहतर कार्य कर रही है एवं उनकी पहुंच ग्रामीणजनों तक है, को प्राथमिकता दिया जाये।

चर्चा के उपरांत अपर मुख्य सचिव (वित्त), प्रमुख सचिव (जल संसाधन विभाग) एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक की समिति को मूल्यांकन के मापदण्डों को तय करने के लिए अधिकृत किया गया।

एजेण्डा–4: IWMP परियोजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2012–13 हेतु जिलों से प्राप्त नवीन प्रारंभिक परियोजना प्रतिवेदन (PPR) प्रस्तावों के अनुमोदन के संबंध में।

भारत सरकार, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2012–13 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य हेतु 1.54 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है। तत्संबंध में PPR प्रस्ताव राज्य कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु समस्त जिला कलेक्टर सह अध्यक्ष WCDC को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 979, दिनांक 19.10.2012, क्रमांक 1043, दिनांक 07.11.2012 एवं क्रमांक 1059, दिनांक 16.11.2012 प्रेषित किया गया। राज्य कार्यालय को 19 जिलों से 36 PPR प्रस्ताव दिनांक 19.12.2012 तक प्राप्त हुए है, विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	PIA	परियोजना संख्या	SPSP-2012 के अनुरूप क्षेत्र वाले	SPSP-2012 के अनुरूप नहीं
1	Govt.	30	26	04
2	NGO	06	04	02

चर्चा के उपरांत केवल SPSP-2012 के अनुरूप क्षेत्र वाले शासकीय PIA के 26 PPR प्रस्ताव, जिसका उपचार क्षेत्रफल 119196.5 हेक्टेयर है, का अनुमोदन किया गया। साथ ही CGCOST रायपुर एवं RRSC, नागपुर के सहयोग से कांकेर जिले में विकसित किय जाने वाले Model परियेजना का PPR प्रस्ताव, जिसका उपचार क्षेत्रफल 4953.00 हेक्टेयर है, का अनुमोदन किया गया। सभी न्यूनतम अर्हता पूर्ण नहीं करने के कारण NGOs से प्राप्त प्रस्तावों का अनुमोदन नहीं किया गया।

इसी क्रम में मुख्य सचिव द्वारा निर्देशित किया गया की पेयजल हेतु जिन माइक्रो वाटरशेडस् का चयन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किया गया है, उन्हें IWMP परियोजनाओं में प्राथमिकता दी जाये। इस संबंध में जानकारी SLNA को उपलब्ध कराने हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को निर्देशित किया गया।

एजेण्डा–5: वर्ष 2012–13 हेतु प्रस्तावित IWMP परियोजनाओं के लिए WDT एवं माइक्रो वाटरशेड सचिवों के संविदा पदों की स्वीकृति विषयक।

पूर्व की परियोजनाओं में भारत सरकार से अनुमोदन के उपरांत ही नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करने की परम्परा रही है। इस कारण परियोजना को प्रारंभ करने में विलंब होता है। अतः वर्ष 2012–13 के लिए SLNA द्वारा अनुमोदित 27 परियोजनाओं हेतु प्रत्येक परियोजना में 04 सदस्यों का जलग्रहण विकास दल (WDT) एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत में सचिव, माइक्रो वाटरशेड के संविदा नियुक्ति की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए जिलों को निर्देश दिये जाये।

प्रत्येक परियोजना के उपरोक्त पदों के लिए पूर्व में वित्त विभाग से स्वीकृत निम्नानुसार एकमुश्त संविदा मासिक वेतन दिया जावेगा :–

क्र.	पदनाम	पद संख्या	एकमुश्त वेतनमान
1	जलग्रहण विकास दल (यांत्रिकी)–टीम लीडर	1	13700/–
2	जलग्रहण विकास दल (आजीविका)	1	11820/–

क्र.	पदनाम	पद संख्या	एकमुश्त वेतनमान
3	जलग्रहण विकास दल (समूह विकास)	1	11820/–
4	लेखापाल सह डाटा ऐण्ट्री आपरेटर	1	8080/–
5	सचिव, माइक्रो वाटरशेड	1	2500/–

WDT के नव नियुक्त सदस्यों को WASSAN कन्सोर्टियम/TPIPRD द्वारा 45 दिनों का जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन से संबंधित एवं SERP/TPIPRD से स्व–सहायता समूहों के गठन संबंधी गहन प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर आने वाला व्यय पूर्व में स्वीकृत IWMP परियोजनाओं के क्षमता निर्माण मद में उपलब्ध राशि से वहन किया जायेगा, जिसका समायोजन नवीन परियोजनाओं की स्वीकृति उपरांत उनमें उपलब्ध क्षमता निर्माण मद से किया जायेगा।

प्रशिक्षण अवधि में नियुक्त WDT सदस्यों को मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा। परियोजनाओं की भारत सरकार द्वारा स्वीकृति उपरांत ही WDT सदस्यों एवं माइक्रो वाटरशेड सचिवों के अंतिम नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगें तथा एकमुश्त संविदा मासिक वेतन का भुगतान किया जावेगा।

एजेण्डा–6: जलग्रहण परियोजनाओं की प्रगति

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, SLNA द्वारा राज्य में माह नवंबर 2012 की स्थिति में संचालित एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) की जिलेवार प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। यह अवगत कराया गया कि परियोजना स्तर पर अमलों की भर्ती प्रक्रिया के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी करने के कारण परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जिलेवार समीक्षा के उपरांत मुख्य सचिव द्वारा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अपेक्षित प्रगति लाने हेतु निरंतर प्रयास करने के निर्देश दिये गये। यह भी निर्देश दिया गया कि सभी पी.आई.ए. की सूची एवं प्रगति से उनके विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव एवं विभागाध्यक्षों को भी अवगत कराया जाये, जिससे वे भी समय–समय पर प्रगति की समीक्षा कर परियोजनाओं में अपेक्षित प्रगति के लिए कार्यवाही कर सके।

एजेण्डा–7: अन्य विषय।

CEO-SLNA द्वारा मुख्य सचिव के अनुमोदन से अन्य विषय के तहत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नारायणपुर के वर्ष 2011–12 में स्वीकृत IWMP-I परियोजना में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। IWMP-I परियोजना के वर्तमान में स्वीकृत ग्राम अंजरेल (क्षेत्रफल 844.42 हेक्टेयर) के स्थान पर परियोजना क्षेत्र में खड़कगांव (क्षेत्रफल 864.74 हे.) एवं तेलसी (क्षेत्रफल 215.31 हे.) को शामिल करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर भारत सरकार को संशोधित पी.पी.आर. प्रेषित करने हेतु निर्देश दिया गया।

अंत में सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सभी उपस्थित अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ, मुख्य सचिव की अनुमति से बैठक समाप्त की गयी।

(मुख्य सचिव, छ.ग. शासन सह अध्यक्ष SLNA द्वारा अनुमोदित)

(आर.के. सिंह)
CEO-SLNA
विकास आयुक्त कार्यालय,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

(परिशिष्ट–1)

जलग्रहण परियोजनांतर्गत राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (SLNA) की छठवीं बैठक दिनांक 09/01/2013 को उपस्थित अधिकारियों की सूची

क्र.	उपस्थित अधिकारी का नाम/पदनाम
1	श्री सुनील कुमार, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सह अध्यक्ष SLNA
2	श्री डी.एस. मिश्र, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग सह सदस्य SLNA
3	श्री एन.के. असवाल, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग सह सदस्य SLNA
4	श्री सुनील कुजूर, प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, वन विभाग, सह सदस्य SLNA
5	श्री धीरेन्द्र शर्मा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, सह सदस्य SLNA
6	श्री मनोहर पाण्डेय, सचिव, छ.ग. शासन, कृषि विभाग, सह सदस्य SLNA
7	श्री आर.एस. विश्वकर्मा, सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, छ.ग. शासन सह सदस्य SLNA
8	श्री देवाशीष दास, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सह सदस्य SLNA
9	श्री युनुस अली, आयुक्त, पंचायत सह सदस्य SLNA
10	प्रो. एम.एम. हम्बर्डे, महानिदेशक, CGCOST रायपुर
11	डॉ. एस.पॉल, सहायक महाप्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय नाबार्ड सह सदस्य SLNA
12	डॉ. बी.के.रंगनाथ, परियोजना निदेशक, सुजला, बैंगलूरू
13	डॉ. डी.ए. सरनाईक, निदेशक (विस्तार सेवाऐं), इं.गा.कृ.वि.वि. सह सदस्य SLNA
14	डॉ. जे.एस. उरकुरकर, संचालक अनुसंधान सेवाऐं, इं.गा.कृ.वि.वि. सह सदस्य SLNA
15	डॉ. एस.एन. दास, वैज्ञानिक, क्षेत्रीय रिमोट सेसिंग सेंटर–मध्य, नागपुर (इसरो)
16	श्री प्रशांत कविश्वर, वरिष्ठ संसाधन वैज्ञानिक, CGCOST रायपुर
17	डॉ. आर.के. सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी SLNA